बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 183

कृषि ऋण का दुरुपयोग

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एक आंतरिक कार्य समूह द्वारा कृषि ऋण की समीक्षा के बाद इस आशंका की पुष्टि हो गई है कि कृषि क्षेत्र को दिए गए संस्थागत ऋण के बड़े हिस्से का दुरुपयोग हो रहा है।

समूह ने पाया कि कई राज्यों को मिल रहा संस्थागत कृषि ऋण उन राज्यों के कृषि क्षेत्र के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद से भी अधिक है। कुछ राज्यों में पाया गया कि ऐसा ऋण वहां के किसानों की कृषि संबंधी कच्चे माल की अनुमानित जरूरत से कहीं ज्यादा है।

उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में वर्ष 2015 और 2017 के बीच दिया गया फसल ऋण वहां के किसानों की कच्चे माल संबंधी जरूरत के साढ़े सात गुना था। इसके बावजूद असंगठित क्षेत्र (पढ़ें साहूकार) देश भर के किसानों के ऋण का अहम जरिया है। स्पष्ट है कि किसानों को दिए जाने वाले भारी सब्सिडी वाले कृषि ऋण का एक बड़ा हिस्सा गैर कृषि उद्देश्यों की पूर्ति में लग रहा है। इस धन के गलत इस्तेमाल का यह पहला प्रमाण नहीं है।

इसके संकेत पहले हुए कुछ अध्ययनों में भी मिल चुके हैं। आरबीआई के आंकड़ों पर आधारित वर्ष 2015 का एक अध्ययन बता चुका है कि शहरी और अर्द्ध शहरी इलाकों में स्थित बैंकों की शाखाएं उन महीनों में भी कृषि ऋण देती रहीं जब खेती का कामकाज नहीं होता। यह वह अवधि होती है जब किसानों को ऋण की आवश्यकता नहीं होती।

कृषि ऋण क्षेत्र में कई अन्य कमियां भी हैं। उनमें सबसे अहम है इसके वितरण की समस्या। कृषि ऋण का बड़ा हिस्सा बड़े जमींदारों को मिलता है। छोटे और सीमांत किसान साहूकारों की दया पर निर्भर रहते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि करीब 41 फीसदी छोटे और सीमांत किसान, जो कुल किसान परिवारों का करीब 86 फीसदी हैं और जिन्हें कर्ज की सबसे अधिक आवश्यकता है, वे वाणिज्यिक बैंकों के दायरे से ही बाहर हैं। यही बात अनुबंधित और साझे में खेती करने वाले किसानों पर भी लागू होती है।

इन किसानों को भी सस्ते ऋण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। सबसे बुरी बात यह है कि कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय तथा किसानों के दीर्घकालिक निवेश की भी ऋण आवंटन में अनदेखी की जाती है। संबद्ध क्षेत्र मसलन, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं वानिकी आदि अब कृषि-जीडीपी में करीब 40 फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं जबकि कुल संस्थागत ऋण में उन्हें केवल 7 फीसदी हिस्सा मिलता है।

इसी प्रकार कुल कृषि ऋण में निवेश ऋण की हिस्सेदारी सन 2000 के 50 फीसदी से घटकर 2016 में 25 फीसदी रह गई। समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज में छूट की मौजूदा व्यवस्था का भी कुछ संसाधन संपन्न किसान फायदा लेते हैं और इस पैसे का निवेश उच्च ब्याज दर वाली जमा योजनाओं में कर देते हैं।

इसमें दो राय नहीं कि ब्याज में छूट की व्यवस्था खत्म कर लक्षित लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण की व्यवस्था अपनाने से इनमें से कुछ कमियों से निजात पाई जा सकती है। आरबीआई के कार्य समूह ने भी यही सुझाव दिया है। इससे अनुबंधित, साझे की खेती करने वाले और भूमिहीन किसानों को भी मदद मिलेगी। ये सभी फिलहाल संस्थागत ऋण के दायरे से बाहर हैं। समस्त कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देकर भी कुछ गड़बड़ियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। परंतु ये कदम हर कमी दूर नहीं कर सकते। बैंक और कर्जदारों समेत समस्त अंशधारकों से चर्चा करके ही ऐसे अहम मुद्दों पर वास्तविक हल निकाला जा सकता है।

अजय मोहंती

नेटवर्क से जुड़े बुनियादी ढांचे वाला भारत

बुनियादी ढांचे में सुधार का संबंध जीवन जीने की परिस्थितियों में सुधार से है। ऐसे में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में उपयोगिता आधारित और नेटवर्किंग केंद्रित परियोजनाओं का बढ़ना स्वाभाविक है। बता रहे हैं विनायक चटर्जी

देश में बुनियादी ढांचे की आपूर्ति का ताना बाना अत्यधिक व्यस्तता से बुना जा रहा है जिसमें एक स्थान का अत्यधिक महत्त्व है। इसमें बीते वर्षों का उतार-चढ़ाव भरा निवेश ही है। मौजूदा दशक और आगामी दशक में अधोसंरचना कंपनियां और विनिर्माण कंपनियां अप्रत्याशित कदम उठाएंगी और भारी पूंजीगत व्यय, जगह आधारित एकल परियोजनाओं मसलन राजमार्ग, पुल, बिजली संयंत्र, बंदरगाह और हवाई अड्डों से उपयोगिता आधारित आपूर्ति का रुख करेंगी। इसमें दो राय नहीं कि अब निवेश का एक चरण संचार और उपयोगिता आपूर्ति की ओर स्थानांतरित हो चुका है।

भारतमाला परियोजना की बात करें तो इससे पहले राजमार्ग निर्माण परियोजनाएं केवल सड़क निर्माण पर केंद्रित रहती थीं लेकिन भारतमाला का लक्ष्य जिला मुख्यालयों, लॉजिस्टिक और औद्योगिक केंद्रों तथा बंदरगाहों के बीच संपर्क कायम करने का है।

हकीकत में इस कार्यक्रम के पहले चरण के अधीन 34,800 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना थी जिसमें से केवल 10,000 किमी मार्ग ही दो शहरों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग था, शेष निवेश जगहों को जोड़ने पर केंद्रित है।

एक ओर जहां सड़कें देश के बुनियादी ढांचे में आ रहे इस नए नेटवर्क संबंधी बदलाव का सहज उदाहरण हैं वहीं अन्य कार्यक्रम अभी भी बिंदुओं पर केंद्रित हैं। पानी, बिजली, फाइबर संचार, गैस, क्षेत्रीय विमानपत्तन और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन आदि इसके उदाहरण हैं।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय में विलय करके 31 मई, 2019 को जल शक्ति मंत्रालय गठित किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से सरकार ने यह वादा किया है कि सन 2024 तक सबको पाइप वाला पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसे 2019-20 के बजट में हर घर जल का नाम दिया गया है। पहले इसका नाम नल से जल था। यह परियोजना अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी है। नीति आयोग की गत वर्ष आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि देश की तीन चौथाई आबादी को उसके आवास परिसर में पेयजल नहीं मिलता। चूंकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में करीब 23 करोड़ परिवार थे। अगर मान लिया जाए कि इस आंकड़े में अब तक कोई बदलाव नहीं आया है तो नल से जल योजना के तहत करीब 19 करोड़ परिवारों को सुविधा पहुंचानी होगी।

अप्रैल 2018 के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की थी कि देश के सभी 6.40 लाख गांवों का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। इसके तत्काल बाद यह घोषणा कर दी गई कि देश के सभी परिवारों का विद्युतीकरण होगा और इसी के साथ सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई। इससे संबंधित सरकारी वेबसाइट के मुताबिक उस वक्त करीब 3.15 करोड़ घरों में बिजली पहुंचनी थी, हालांकि अब यह लक्ष्य काफी हद तक हासिल किया जा चुका है। वर्ष 2011 में शुरू की गई भारत नेट परियोजना नैशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना है जिसके माध्यम से 2.50 लाख गांवों को संचार उपलब्ध कराना है। देश के अधिकांश राज्यों में इसका क्रियान्वयन चल रहा है।

शहरी गैस विकास भी समान रूप में मायने रखता है और यह भी देश के लाखों लोगों के जीवन में बदलाव के लिए तैयार है। अप्रैल 2020 में शुरुआत के बाद सन 2029 तक विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बोली हासिल करने वालों ने करीब 20 लाख पाइप वाले गैस कनेक्शन सालाना देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा देश भर में 3,500 सीएनजी स्टेशन, लगाने और 58,000 किमी पाइप लाइन बिछाने की योजना है। शहरी गैस के क्षेत्र में बोली का ताजा दौर इन वर्षों में आबादी के 70 प्रतिशत हिस्से को पाइप वाली गैस के दायरे में ले आएगा।

सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर दिए जा रहे जोर और इनके लिए बुनियादी ढांचा मुहैया कराने की उसकी कोशिशों के क्रम में बिजली मंत्रालय ने दिसंबर 2018 में चार्जिंग स्टेशनों के लिए दिशानिर्देश और मानक घोषित किए। भारी उद्योग मंत्रालय ने ऐसे शहरी स्थानीय निकायों, सरकारी उपक्रमों और निजी-सार्वजनिक संस्थाओं से आवेदन मंगाए हैं जो देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में ऐसे चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में रुचि रखते हैं। इस दायरे में वही शहर आएंगे जो सन 2011 की जनगणना मे 10 लाख से अधिक आबादी वाले रहे हों। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय संचार की उड़ान योजना के तहत विमानपत्तन परियोजनाएं हैं। इस योजना का लक्ष्य छोटे शहरों को विमान सुविधा उपलब्ध कराना है।

इसके लाभ स्पष्ट हैं। कई ऐसे शोध हैं जो बता चुके हैं कि केवल संचार सुविधा बढ़ाने से आर्थिक लाभों में किस तरह बढ़ोतरी होती है। मसलन दूरदराज इलाकों को आर्थिक केंद्रों तक भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक संचार मुहैया कराने से लाभ होता है। इससे लेनदेन की लागत में कमी आती है। खुदरा कारोबारी ग्रामीण इलाकों में अधिक अंदर तक पहुंच बना सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कंपनियां जो बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण उन इलाकों में निवेश नहीं करतीं, वे भी ऐसा करती हैं जिससे रोजगार तैयार होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार से वैश्विक स्तर पर संभावनाओं के नए द्वार खुलते हैं। पाइप से जलापूर्ति सदियों पुरानी समस्या को समाप्त करती है।

परंतु दूरदराज तक संपर्क कायम करने वाली इन संचार परियोजनाओं में चुनौती भी बहुत बड़ी है। नल से जल के लिए केंद्र को अप्रत्याशित स्तर पर काम करना होगा क्योंकि पानी राज्य का क्षेत्र है। इसी तरह की चुनौतियां शहरी गैस परियोजनाओं में भी आएंगी क्योंकि वहां भी नगर निगम और राज्य सरकार के तालमेल के बाद ही भूमि अधिग्रहण हो सकेगा। ऐसी परियोजनाओं के लिए मंजूरी भी बहुत अहम है।

हकीकत यह है कि नए नेटवर्क आधारित बुनियादी ढांचे की राह में सबसे बड़ी बाधा तौर तरीकों की है। रोजमर्रा के कामकाज की प्रबंधकीय चुनौतियों के अलावा असंगठित और बिखरी हुई श्रम शक्ति भी एक समस्या है। फंडिंग की बात करें तो सरकारी वित्त पर फिलहाल काफी दबाव है। बुनियादी ढांचे की नेटवर्किंग के लिए संस्थागत फंडिंग को लेकर सर्वथा नए मानक अपनाने की आवश्यकता है।

ये चुनौतियां छोटी नहीं हैं लेकिन अगर देश के बुनियादी ढांचे को अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचानी हैं तो यह एक ऐसी चुनौती है जिससे हमें निपटना होगा। हम सभी जानते हैं कि बुनियादी ढांचे का सीधा संबंध जीवन की गुणवत्ता में सुधार से है।

रक्षा मंत्रालय के पास नहीं हैं अधिक विकल्प

दोधारी तलवार

अजय शुक्ला

रक्षा मंत्रालय के खरीद के तथाकथित रणनीतिक साझेदार (एसपी) मॉडल में पिछले सप्ताह कई गंभीर खामियां सामने आईं जब पांच भारतीय कंपनियों ने प्रोजेक्ट 75-आई में एसपी बनने के लिए प्रस्ताव सौंपे। इस परियोजना के तहत 45,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से छह परंपरागत पनडुब्बियां बनाई जानी है। निजी क्षेत्र की दो कंपनियों लार्सन ऐंड टुब्रो और रिलायंस नेवल ऐंड इंजीनियरिंग के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की मझगांव डॉक मुंबई और हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम (एचएसएल) ने भी प्रस्ताव सौंपा था। एचएसएल और अदाणी डिफेंस की विशेष कंपनी (एसपीवी) ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई जबकि एसपीवी को इसमें बोली के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। इस तरह एचएसएल ने दो प्रस्ताव सौंपे, जो एकदूसरे के साथ होड़ में थे। कई मायनों में इसमें एसपी खरीद के पुराने मामले की ही पुनरावृत्ति देखने को मिली। 21,738 करोड़ रुपये की लागत से नौसेना के लिए 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाने के वास्ते मई में प्रस्ताव मांगे गए थे। इसमें एलऐंडटी, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, अदाणी डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस, रिलायंस डिफेंस और कल्याणी ग्रुप ने दिलचस्पी दिखाई। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने केवल निजी क्षेत्र से बोली मंगाई थी, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने भी दो प्रस्ताव सौंपे। इनमें से एक उसने अपनी तरफ से सौंपा था जबकि दूसरा रशियन हेलीकॉप्टर्स के साथ उसके संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन हेलीकॉप्टर्स लि. तरफ से था।

ओईएम के लिए प्रस्ताव सौंपने की अंतिम तिथि 24 सितंबर है। रक्षा मंत्रालय एसपी और ओईएम प्रस्तावों की जांच करने के बाद इनकी छंटाई करेगा। इसके बाद छांटे गए एसपी मंजूर किए गए ओईएम के साथ मिलकर औपचारिक प्रस्ताव सौंपेंगे। रक्षा मंत्रालय एसपी-ओईएम की उस जोड़ी को ठेका देगा जो सबसे कम लागत में पनडुब्बी बनाएगी, स्वदेशी का ज्यादा का ज्यादा इस्तेमाल करेगी और अधिकांश प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करेगी। इसके पीछे मकसद नौसेना को विदेशी मदद के बिना पूरी तरह स्वदेश में 12 पनडुब्बियां बनाने के लिए तैयार करना है। उस ओईएम को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो न्यूनतम अनिवार्य स्तर पर अधिक से अधिक स्वदेशी साजोसामान का इस्तेमाल करेगी। पहली पनडुब्बी में यह स्तर 45 फीसदी होगा जबकि छठी पनडुब्बी में बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा। हालांकि इस सफर में रक्षा मंत्रालय कहीं न कहीं अपने लक्ष्य से भटक गया है। यह लक्ष्य निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों को रक्षा क्षेत्र की नौ सार्वजनिक कंपनियों (डीपीएसयू) और ऑर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड (ओएफबी) की 41 कंपनियों के साथ मुकाबले के लिए तैयार करने का था। 2001 तक रक्षा उत्पादन में इन्हीं का दबदबा था। 2005-06 में केलकर समिति ने इसमें निजी कंपनियों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। लेकिन ओएफसी और डीपीएसयू के श्रम संगठनों ने इसका विरोध किया। उन्हें आशंका थी कि उनका रोजगार छिन जाएगा। रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारियों ने भी निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा का विरोध किया। दूरसंचार स्पेक्ट्रम और कोयला खदानों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अधिकारी रक्षा साजोसामान के उत्पादन के लिए निजी कंपनियों के चयन से कतरा रहे थे। एके एंटनी के कार्यकाल में रक्षा में निजी क्षेत्र को शामिल करने की योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई।

वर्ष 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह का प्रस्ताव लेकर आए। पर्रिकर ने धीरेंद्र सिंह समिति और वीके अत्रे टास्क फोर्स का गठन किया। दोनों समितियों ने एसपी के चयन के लिए सख्त तौर-तरीकों का सुझाव दिया। लेकिन अधिकारियों और श्रम संगठनों के विरोध के कारण पर्रिकर भी इस योजना को आगे नहीं बढ़ा पाए। मार्च 2017 में उनकी जगह अरुण जेटली रक्षा मंत्री बने और कुछ ही हफ्ते में उन्होंने एसपी नीति की घोषणा कर दी। यह अपने मूल उद्देश्य से पूरी तरह अलग थी। जेटली ने ओएफबी और डीपीएसयू को भी एसपी में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी। उन्होंने एसपी बनने के लिए जरूरी विशेष दक्षता को भी शिथिल कर दिया।

इस तरह निजी कंपनियों को गैर-बराबरी वाली शर्तों पर सार्वजनिक कंपनियों से होड़ करनी होगी। जिस तरह प्रोजेक्ट 75-आई परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर कई तरह की आपत्तियां जताई जा रही हैं। खासकर अदाणी डिफेंस के इसमें शामिल होने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कंपनी के पास न तो कोई शिपयार्ड है और न ही उसे जहाज बनाने का कोई अनुभव है। कंपनी की भागीदारी का आधार यह है कि उसकी मूल कंपनी अदाणी ग्रुप के पास बिजली संयंत्र है। पनडुब्बी बनाने के लिए शुष्क गोदी और आउटफिटिंग बर्थ सहित कई शर्तें हैं जिन्हें पूरा करने के लिए अदाणी डिफेंस एचएसएल के साथ एसपीवी पर निर्भर हैं। लेकिन नियमों के मुताबिक प्रस्ताव सौंपने की तिथि पर बोली लगाने वाली कंपनी का अस्तित्व होना चाहिए। अदाणी-एचएसएल को इसमें मुश्किल हो सकती है। एचएसएल अकेले बोली नहीं लगा सकती है, क्योंकि वह न तो प्रस्ताव की वित्तीय शर्तों को पूरा करती है और न ही उसने पिछले पांच साल में 300 करोड़ रुपये का कोई प्लेटफॉर्म सौंपा है। राफेल विवाद और रिलायंस नेवल की वित्तीय समस्याओं के बावजूद रिलायंस ग्रुप भी इस परियोजना को हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। लेकिन रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की खराब नकदी स्थिति और डी क्रेडिट रेटिंग से उसकी संभावना प्रभावित हो सकती है। समय पर आपूर्ति न कर पाना भी इन कंपनियों के लिए एक बड़ी समस्या है। इसमें एलऐंडटी अपवाद है जो समय से पहले एक के बाद एक जहाजों की आपूर्ति कर रही है। ऐसी स्थिति में लगता है कि रक्षा मंत्रालय के पास बहुत विकल्प नहीं होंगे।

कानाफूसी

शिक्षक हाजिर हों!

सरकारी अध्यापकों का विद्यालयों से नदारद रहना आम बात है। उत्तर प्रदेश के विद्यालय भी इसके अपवाद नहीं हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति की समस्या समाप्त करने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रास्ता निकाल लिया है। प्रदेश सरकार शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ऐप आधारित उपस्थिति की व्यवस्था लागू करने जा रही है। आश्चर्य नहीं कि शिक्षक बिरादरी इस बदलाव का विरोध कर रही है। कुछ शिक्षकों का कहना है कि यह उनकी निजता का हनन करने वाला कदम है। बहरहाल, सरकार का इरादा भी छूट देने का कतई नहीं है। उसने शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों की भी सूची बना ली है जो अपने बचाव के लिए शिक्षकों के प्रतिरोध का इस्तेमाल कर रहे हैं।

हड़ताल और अवकाश

बैंकों के श्रम संगठन अक्सर अपनी हड़ताल इस तरह आयोजित करते हैं कि वह एक लंबे सप्ताहांत के साथ मिल जाती है। बैंकों की अगली हड़ताल 26 और 27 सितंबर को है। अगले दिन यानी 28 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार होने के नाते अवकाश है। इसके अगले दिन रविवार और फिर 30 सितंबर को सोमवार को अर्द्ध वार्षिक बंदी है। इसके पश्चात 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश है। कुछ अनुभवी बैंक अधिकारियों का कहना है कि अगर 1 अक्टूबर को अवकाश ले लिया जाए तो यह एक ठीकठाक लंबाई वाली छुट्टी बन जाएगी।

आपका पक्ष

देश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो

21वीं सदी में वही देश वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमान संभालेगा जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देगा। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा अपने चारों ओर की चीजों को सीखने की एक प्रक्रिया है। यह हमें किसी भी वस्तु या परिस्थिति को आसानी से समझने, किसी भी तरह की समस्या से निपटने और पूरे जीवन भर विभिन्न आयामों में संतुलन बनाए रखने में हमारी सहायता करती है। बिना शिक्षा के हम अधूरे हैं और हमारा जीवन बेकार है। शिक्षा हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह हमारे ज्ञान, कुशलता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में सुधार करती है। ऐसे में नए भारत के लिए जरूरी है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में वैश्विक मानकों के अनुसार जरूरी परिवर्तन करें। भारत कौशल रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान से निकलने वालों में से केवल 47 फीसदी ही रोजगार के काबिल होते हैं। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि वह नवीन विकसित रोजगार के क्षेत्रों के अनुसार मानव संसाधन तैयार कर सके। उच्च शिक्षा में शोध एवं नवाचार की दयनीय हालत है। भारत अपनी जीडीपी का केवल 2.7 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करता है जो काफी कम है। अगर हम उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के आंकड़े 2017-2018 की बात करें तो उच्च शिक्षा तक आते-आते नामांकन अनुपात घटकर केवल 25.8 प्रतिशत तक रह जाता है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या 2019 रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत की जनसंख्या में 27.3 करोड़ का इजाफा हो। जाएगा जो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि होगी। वर्ष 2047 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि अपने चरम पर होगी जिसके समग्र विकास के लिए भारत के युवा को एक खास शिक्षा की जरूरत पड़ेगी और भारत को उस पर निवेश करना होगा। तभी एक बेहतर भविष्य का निर्माण होगा। भारत को अपनी सबसे महत्त्वपूर्ण पूंजी अपने नागरिकों की शिक्षा गुणवत्ता पर गंभीर रूप से ध्यान देने की जरूरत है।

अजय प्रताप तिवारी, गोंडा

मध्य प्रदेश के जबलपुर में महिला सेना पुलिस की भर्ती में शामिल अभ्यर्थी *-पीटीआई*

रोजगार की तलाश खत्म हो

पिछले दिनों केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में पिछले तीन साल में दो करोड़ अतिरिक्त श्रमिक जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार असंगठित क्षेत्र पर काम कर रही है जहां 40 करोड़ से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में रोजगार के आंकड़े चौंकाने वाले नहीं लगते हैं। निजी क्षेत्र में नौकरियां जितनी जल्दी मिलती हैं उससे ज्यादा जल्दी छूटती भी हैं। अगर किसी को आज नौकरी मिली है तो किसी नौकरी गई भी होगी। पिछले तीन साल में देश में काफी कुछ बदलाव हुआ है। नोटबंदी की मार से छोटी कंपनियां बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। जीएसटी ने छोटी कंपनियों की कमर तोड़ रखी है। इस साल आर्थिक मंदी के कारण नौकरियां जा रही हैं। सरकार को आर्थिक स्थिति सुधारने तथा नौकरियों के सृजन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

प्रीति कुमारी, नोएडा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।